प्रेस-विज्ञप्ति **25.04.2019**

एटीए और संयुक्त राष्ट्र टीआईआर कार्नेट पर कार्यशाला " आपका वीजा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच अस्थायी निर्यात / माल के आयात के लिए "

25 अप्रैल, 2019 सायं 03:00 बजे, मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं F.I.C.C.I. द्वारा प्रेस-वार्ता का आयोजन किया गया। इसमे व्यापारिक समुदाय के लिए एटीए और संयुक्त राष्ट्र टीआईआर कार्नेट उपकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

आयोजित प्रेस-वार्ता में दिनांक 26.04.2019 को समय सायं 05:30 बजे से उपरोक्तलिखित विषय पर आयोजित होने वाले अर्ध दिवसीय कार्यशाला के बारे जानकारी दी गयी।

प्रेस-वार्ता में **श्री सुशील शर्मा, मिस विजयलक्मी, Additional Director, F.I.C.C.I., श्री महेंद्र नाथ मोदी, सचिव, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री अमित गुप्ता, State Head UP, FICCI, श्री अंशुमाली बाजपेई,** उपस्थित थे, जिन्होंने उपरोक्तलिखित विषय पर निम्नलिखित जानकारी दी:

एटीए कारनेट एक अस्थायी प्रवेश दस्तावेज है, जो देश में अस्थायी आयात के लिए शुल्क या बैंक गारंटी के बिना किसी विदेशी देश में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और मंजूरी को सरल करता है। माल के लिए पासपोर्ट की तरह, एटीए कारनेट उन सामानों के लिए अनुमति देता है जिनके लिए इसे किसी भी भागीदार देशों में एक वर्ष तक प्रवेश करने के लिए जारी किया जाता हैं। एटीए कारनेट धारक सीमा शुल्क घोषणा से बच सकते हैं और देश में अस्थायी आयात के लिए सुरक्षा जमा या गारंटी के से दूर रह सकते हैं। भारत में, फिक्की एटीए कारनेट के लिए एकमात्र राष्ट्रीय गारंटर है।

एटीए कारनेट देश में अस्थायी निर्यात के उपयोग के लिए कई क्षेत्रों सहित व्यापार मेलों, शो, प्रदर्शनियों, बैठकों आदि करता है, जो कि एटीए कारनेट्स को नियंत्रित करने वाले सम्मेलनों के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है। माल को हर देश से फिर से निर्यात किया जाना चाहिए और एक साल के भीतर भारत में फिर से आयात किया जाना चाहिए। वर्तमान में 78 देश एटीए कारनेट के रूप पहचाने जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, मलेशिया, स्पेन, यूएई, यूके और यूएसए शामिल हैं।

फिक्की , भारत में एटीए कारनेट के समान यू.एन टीआईआर कारनेट प्रणाली के संचालन के लिए भी अधिकृत है। टीआईआर कारनेट एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन दस्तावेज है जो टीआईआर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित टीआईआर प्रक्रिया के तहत गंतव्य के सीमा शुल्क कार्यालय से प्रस्थान के सीमा शुल्क कार्यालय तक माल के परिवहन की अनुमति देता है। यह संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन पर आधारित सार्वभौमिक सीमा-पारगमन प्रणाली है, जो वैश्विक सीमाओं पर वैश्विक स्तर पर लागू वस्तुओं को बिना किसी अतिरिक्त जांच के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थानांतरित

करने के लिए है। यह यूरोप (यूएनइसीइ) के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग की देखरेख और अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन (आईआरयू) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। टीआईआर का अर्थ है "ट्रांसपॉर्ट इंटरनेशनक्साउटियर्स"। वर्तमान में भारत सहित 74 अनुबंध दल हैं।

टीआईआर भारतीय व्यापारियों को सड़क, या अन्य अनुबंध वाले दलों के क्षेत्रों में मल्टी-मोडल साधनों द्वारा माल की आवाजाही के लिए तेज, आसान, विश्वसनीय और परेशानी मुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। यह भारत के व्यापार के लिए एक वरदान होगा और इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वैश्विक और क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क के साथ एकीकृत करना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन (INSTC) कॉरिडोर के साथ माल की आवाजाही के लिए एक साधन हो सकता है, जिसे भारत रूस के साथ विकसित कर रहा है।

सधन्यवाद

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश